—: आर0टी0 सन्देश :—

सेवा में : प्रभारी निरीक्षक कोत0नगर, कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, बिवाँर, जरिया एवं थानाध्यक्ष मझगवाँ, जनपद हमीरपुर।

सूचनार्थ : अपर पुलिस अधीक्षक / समस्त क्षेत्राधिकारी, जनपद हमीरपुर।

प्रेषक : पुलिस अधीक्षक, जनपद हमीरपुर।

पत्रांक: आर0आई0—वाहन नीलामी / 2022(लावारिस / लादावा) **दिनांक**: अगस्त 24, 2022

कृपया इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या—रीडर—निर्देश—वाहन नीलामी / 2022, दि0 08.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो प्रतिसार निरीक्षक को सम्बोधित एवं आप सभी को प्रतिलिपि प्रेषित करते हुये, थानों के परिसर में खड़े लावारिस / लादावा से सम्बन्धित मूल्यॉकनशुदा वाहनों के नियमानुसार नीलामी कराये जाने हेतु सम्बन्धित से समंवय स्थापित कर पुलिस लाइन्स परिसर में एक निश्चित स्थान पर एकत्रित कराकर, वाहनों की नियमानुसार नीलामी कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त क्रम में **"जनपद अंतर्गत सर्किल सदर एवं मौदहा अंतर्गत स्थित थानों से सम्बन्धित मूल्यॉकनशुदा वाहनों की नीलामी दिनॉक 30.08.2022 को पुलिस लाइन्स, हमीरपुर प्रॉगण तथा सर्किल राठ एवं सरीला अंतर्गत स्थित थानों से सम्बन्धित मूल्यॉकनशुदा वाहनों की नीलामी दिनॉक 06.09.2022 को कोतवाली राठ, हमीरपुर प्रॉगण से कराया जाना नियत है।"**

अतएव आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि सर्किल सदर एवं मौदहा अंतर्गत स्थित थाना परिसर में खड़े लावारिस / लादावा वाहनों जिनका आर0टी0ओ0 / ए0आर0टी0ओ, हमीरपुर द्वारा मूल्य निर्धारण कराया जा चुका है, ऐसे समस्त वाहनों (सूची सहित) को नीलामी हेतु अनिवार्य रूप से दि0 28.08.2022 तक पुलिस लाइन्स, हमीरपुर भेजना सुनिश्चित करेगें।

इसी क्रम में सर्किल राठ एवं सरीला अंतर्गत स्थित थाना परिसर में खड़े लावारिस / लादावा वाहनों जिनका आर0टी0ओ0 / ए0आर0टी0ओ, हमीरपुर द्वारा मूल्य निर्धारण कराया जा चुका है, ऐसे समस्त वाहनों (सूची सहित) को नीलामी हेतु अनिवार्य रूप से दि0 05.09.2022 तक कोतवाली राठ, हमीरपुर भेजना सुनिश्चित करेगें।

पुलिस अधीक्षक,
हमीरपुर

प्रतिलिपि :—

1— क्षेत्राधिकारी सदर(नामित अधिकारी), जनपद हमीरपुर को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।

2— प्रतिसार निरीक्षक, पुलिस लाइन्स, हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि **"सम्बन्धित थाना प्रभारियों से समंवय स्थापित कर नियत तिथि तक पुलिस लाइन्स परिसर / कोतवाली राठ, हमीरपुर प्रॉगण में एक निश्चित स्थान पर उक्त वाहनों को एकत्रित कराये एवं एकत्रित वाहनों की नीलामी हेतु नियमानुसार निविदा सूचना अविलम्ब जारी कराकर, नामित उपजिला मजिस्ट्रेट सदर, हमीरपुर एवं क्षेत्राधिकारी सदर, हमीरपुर को अवगत कराते हुये उनकी उपस्थिति में उक्त वाहनों की नियमानुसार नीलामी कराये एवं प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष मे जमा कराते हुये, अनुपालन से सर्वसम्बन्धित को समयबद्ध अवगत कराना सुनिश्चित करें।"**

3— प्रभारी निरीक्षक कोतवाली राठ, जनपद हमीरपुर को इस निर्देश के साथ कि **"सर्किल राठ व सरीला अंतर्गत स्थित थानों से सम्बन्धित मूल्यॉकनशुदा वाहनों की चेचिंस / इंजन नम्बरों का मिलान प्राप्त सूची से कराकर, थाना प्रॉगण में निश्चित स्थान पर एकत्रित करायें तथा एकत्रित वाहनों की नीलामी तिथि तक सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस बल की ड्यूटी लगाना सुनिश्चित करें।"**

4— प्रभारी जिला नियंत्रण कक्ष, जनपद हमीरपुर को समय से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु।